फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण | | अप्रार्थीगण
हनुमानराम डूकिया वगै. | बनाम | गिरधारी राम वगैराह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. ...30... / 2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
8.3.22	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है एवं मौजा जायल के खेत ख.न 654/1 रकबा 1.4731 है., ख.न. 654/2 रकबा 0.1457 है. एवं ख.नं. 714 रकबा 1.9668 हैक्टर एवं ख.नं. 740 रकबा 1.1412 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण व अप्राथीगण 1 से 4 के बडेर की पुश्तैनी भमि है। प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 4 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 मौजा जायल के खेत ख.न 654/1 रकबा 1.4731 है., ख.न. 654/2 रकबा 0.1457 है. एवं ख.नं. 714 रकबा 1.9668 हैक्टर एवं ख.नं. 740 रकबा 1.1412 हैक्टर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे, तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 उक्त खेतों के दस्तावेजो का पंजियन नहीं करने एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जवबादेही हेतु सम्मन सीपीसी आदेश 39 (3) की पालना में रजिस्ट्रर्ड ए.डी. से भिजवाये जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक ...8.4.22... को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल पक्षकार/पक्षकारान व अधिवक्ता	
8/4/22	पीठासीन अधिकारी मीटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 18/5/22 को प्रस्तुत करें।	
18/5/22	वकील प्रार्थी उप। अप्रा। ... तलबी इंतजार होकर दि 19/7/2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

...कार/पक्षकारान के आयश्य...

19/7/22

पीठासीन अधि... जो विजिटिंग पर/अवकाश
अवकाश प... इसलिए प्रस्तुत
...के समक्ष दिनांक 22/9/22
उ.

22/9/22

पत्रावली प्रस्तुत। वकीलान उपस्थित। शुरू वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण ~~ने~~ प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली नं. से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested